# न्यायालय जिला कलक्टर अलवर (राजस्थान)

| प्रा.पत्र संख्या | रजि0 नम्बर | प्रवेश तिथि | निर्णय दिनांक |
|---|---|---|---|
| 15/22/2022 | 2022/36 | 03.02.2022 | 21.06.2022 |

**—उनवान—**

1. किशन पुत्र श्री कन्हैया, निवासी ग्राम कंचनपुरा, तहसील कठूमर जिला अलवर राज0

**—प्रार्थीगण**

**बनाम**

1. आराम पुत्र श्री रंगलाल।
2. कमल पुत्र श्री रंगलाल।
3. जमनालाल पुत्र श्री रंगलाल।
4. भरतलाल पुत्र श्री रंगलाल।
5. उगन्ती पत्नी श्रीराम।
6. ओमप्रकाश पुत्र श्रीराम।
7. जयप्रकाश पुत्र श्रीराम।
8. मुखलेश उर्फ गुड्डी पुत्री श्रीराम।
9. रमेश पुत्र कन्हैया।
10. रामेशवर पुत्र कन्हैया
11. रामदयाल पुत्र श्री मूला।
12. हण्डू पुत्र मोहरपाल।
13. हरिराम पुत्र मूला, जाति मीणा, निवासी ग्राम कंचनपुरा तहसील कठूमर, जिला अलवर राज0।
14. उपखण्ड अधिकारी कठूमर, जिला अलवर।

**—अप्रार्थीगण**

**प्रार्थना पत्र मुन्तकिल**

उपस्थितः—

**01. श्री मूलचन्द** **—वकील अप्रार्थी नं0 12**

**——:: निर्णय ::——**

प्रार्थी ने यह प्रार्थना पत्र मुन्तकिल पेश कर उपखण्ड अधिकारी कठूमर के न्यायालय में विचाराधीन वाद उनवान किशन बनाम आराम को किसी दीगर न्यायालय में मुन्तकिल किये जाने का निवेदन किया है। प्रार्थना पत्र दर्ज रजिस्टर कर अप्रार्थीगण को नोटिस जारी कर तलब किया गया।

विद्वान वकील प्रार्थी के द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र मुंतकिल के सूक्ष्म तथ्य इस प्रकार है कि अधीनस्थ न्यायालय में वाद किशन बनाम आराम विचाराधीन है। जिसमें पेशी दिनांक 04.02.2022 नियत थी। पीठासीन अधिकारी द्वारा उक्त प्रकरण में व्यक्तिगत रूची रखकर छोटी—छोटी तारीख नियत की जा रही है। सारे कायदे कानून ताख पर रखकर जल्दबाजी में प्रकरण का निस्तारण करने को उतारू है। पीठासीन अधिकारी विधिक प्रकिया एवं प्रावधानों के अनुरूप कार्यवाही नहीं कर रहें है। विगत तारीख पर पीठासीन अधिकारी द्वारा एलानिया तौर पर कहा कि आगामी तारीख पर अस्थाई निषेधाज्ञा प्रार्थनापत्र पर आवश्यक रूप से बहस सुनकर प्रार्थनापत्र खारीज कर दूगां पीठासीन अधिकारी द्वारा खुले न्यायालय में अपने न्याय निर्णय का इजहार कर दिया है। अप्रार्थी संख्या 1 लगा0 13 ने पीठासी अधिकारी से साठगांठ कर ली है। अप्रार्थीगण को पीठासीन अधिकारी के चैम्बर में व निवास पर आते—जाते देखा है। अप्रार्थी संख्या 1 लगा0 13 राजनैतिक दबाव बनाकर पीठासीन अधिकारी को निष्पक्ष न्याय करने में बाधा पैदा कर रहे है। अतः प्रार्थीगण

जिला कलक्टर
अलवर (राज0)

का प्रा0पत्र मुंतकिल स्वीकार फरमाया जाकर अधीनस्थ न्यायालय में विचाराधीन पत्रावली को किसी दीगर न्यायालय में मुंतकिल फरमाया जावें।

विद्वान वकील अप्रार्थी संख्या 12 ने अपनी बहस के दौरान निवेदन किया कि पीठासीन अधिकारी द्वारा किसी प्रकार की व्यक्तिगत रूची प्रकरण में नहीं दिखाई जा रही है तथा यह कहना भी कतई गलत है कि पीठासीन अधिकारी कायदे कानून को ताक में रखकर प्रकरण का जल्दबाजी में निस्तारण करने को उतारू है, बल्कि उक्त वाद तकसीम आराजी का है जो विगत 2 वर्षो से विचाराधीन है। पीठासीन अधिकारी पर आधारहीन आरोप लगाकर प्रकरण को लम्बा करना चाहते है। यह कहना कतई गलत नही है कि पीठासीन अधिकारी द्वारा विधिक प्रकियानुसार कार्य नहीं किया जा रहा है। पीठासीन अधिकारी द्वारा किसी भी तारीख पेशी पर प्रार्थना पत्र खारीज करने बाबत नही कहा गया। इस संबंध में प्रार्थी द्वारा कोई गवाह भी पेश नहीं किया गया है। पीठासीन अधिकारी द्वारा कभी भी अपने न्याय निर्णय का इजहार नहीं किया गया ना ही मिन अप्रार्थीगण का पीठासीन अधिकारी से कोई साठ–गाठ है। अप्रार्थीगण कभी भी पीठासीन अधिकारी के निवास या कार्यालय में नहीं गये। अतः प्रार्थना पत्र मुन्तकिल खारीज फरमाया जायें।

उपखण्ड अधिकारी कठूमर द्वारा अपने जवाब में निवेदन किया कि प्रार्थना पत्र में वर्णित बिन्दु बेबुनियाद, मनगंढत, झूठे एवं गलत है। प्रार्थी द्वारा मुन्तकिल प्रार्थना पत्र प्रकरण को जानबूझकर लम्बित करने की नियत से पेश किया गया है। फिर भी प्रकरण को किसी अन्य न्यायालय में मुन्तकिल किया जाता है तो इस न्यायालय को कोई आपत्ति नहीं है।

हमने पत्रावली का अवलोकन किया तथा प्रार्थी एवं अप्रार्थी द्वारा पेश समस्त दस्तावेजात् का अवलोकन व मनन किया। प्रार्थी द्वारा प्रा0पत्र मुंतकिल के संबंध में किसी स्वतंत्र व्यक्ति का शपथ–पत्र पेश नहीं किया है। प्रार्थना पत्र मुंतकिल करने के संबंध में प्रार्थी द्वारा कोई ठोस साक्ष्य/सबूत भी पेश नहीं किये गये है। प्रार्थना–पत्र मुंतकिल खारिज योग्य है।

अतः उक्त विवेचन के आधार पर प्रार्थी का प्रार्थना–पत्र मुन्तकिल खारिज किया जाता है। निर्णय प्रति अधीनस्थ न्यायालय को पालनार्थ भिजवाई जावे। उपखण्ड अधिकारी कठूमर प्रकरण में नियमानुसार सुनवाई कर प्रकरण का विधिवत निस्तारण करें। इस न्यायालय की पत्रावली नम्बर से कम होकर बाद तकमील दाखिल दफ्तर हो।

**निर्णय आज दिनांक 21.06..2022 को अद्योहस्तारकर्ता द्वारा लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।**

**(शिव प्रसाद नकाते)**
**जिला कलक्टर अलवर**
**(राजस्थान)**